

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला अलवर के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार प्रथम स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

1.	श्री योगेश मिश्रा	उपाध्यक्ष
2.	श्री बलबीर छीबेर	जिला प्रमुख सदस्य
3.	श्री दौलत जाटव	प्रधान, पं.स. उमरैण सदस्य
4.	श्री जयप्रकाश कुमावत	प्रधान, पं.स. थानागाजी सदस्य
5.	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री मांगीलाल मीणा	प्रधान, पं.स. रैणी सदस्य
6.	श्रीमती सुनीता गुर्जर	सरपंच सदस्य
7.	श्रीमती मोहिनी विजय (बी 54, आशियाना, गुलमोहर यार्ड, भिवाड़ी, अलवर)	सदस्य
8.	श्रीमती बेनजीर खानम पत्नी श्री शेरखान (मु. कजाकपुर, पोस्ट बहादुरपुर, अलवर)	सदस्य
9.	श्री नरेन्द्र मीणा, अलवर	सदस्य
10.	श्री राकेश बैरवा, अलवर	सदस्य
11.	श्री संजीव बारेट, किशनगढ़बास	सदस्य
12.	श्री सतीश भाटिया पुत्र स्व. श्री आलमचन्द भाटिया (36, मनु मार्ग, अलवर)	सदस्य
13.	श्री हिमांशु शर्मा, अलवर	सदस्य
14.	श्री राजेन्द्र गण्डूरा, अलवर	सदस्य
15.	श्री उमरदीन खान, माचड़ी, अलवर	सदस्य
16.	श्री हरिशंकर रावत, अलवर	सदस्य
17.	श्री कपिल निश्चल	सदस्य
18.	श्री भगवान दास गुप्ता पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता (2/514, काला कुआ, अरावली विहार, अलवर)	सदस्य
19.	श्री करण सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अलवर	सदस्य
20.	श्री रिपुदमन गुप्ता, अलवर	सदस्य
21.	श्री रोहिताश चौहान पुत्र श्री सुण्डाराम चौधरी, दूलवास,	सदस्य

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226



22.	तह. मुण्डावर श्री बन्ने सिंह जाखड (ग्रा.पो. निमामनगर, तह. लक्ष्मणगढ, अलवर)	सदस्य
23.	श्री फूलचन्द शर्मा पुत्र श्री रामनिवास, अकबरपुर	सदस्य
24.	श्री अभिषेक तनेजा पुत्र श्री महेन्द्र तनेजा (166, स्कीम नं. 8, गांधीनगर, अलवर)	सदस्य
25.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
26.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
27.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
28.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य
29.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
30.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:—

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।
4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(सुशील कुमार कुलहरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226



5. विशेषाधिकारी, मा0 उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
6. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (बीस सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित)।
8. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, अलवर को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
12. उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम जिला प्रथम स्तरीय समिति, जिला अलवर।
13. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

नोट:- समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226

